संख्या- 04/2017/1681/22-4-16-48(99)15

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 03 जनवरी, 2017

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद बन्दियों को शुद पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना के लिए गठित निविदा समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44989/आधु-1/आर0ओ0/2015,दिनांक 21.12. 2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-164/2016/664/22-4-16-48(99)/15, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति की बैठक दिनांक 14.12.2016 एवं दिनांक 21.12.2016 को वित्तीय निविदा खोलने के उपरान्त समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश की 22 कारागारों (जिला कारागार पीलीभीत, मुरादाबाद, लखनऊ, बुलन्दशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, बांदा, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, ललितपुर, बिजनौर, गाजीपुर, बलरामपुर, मऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बहराइच, उप कारागार देवबन्द एवं केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़) में 2000 लीटर प्रतिघण्टा क्षमता के आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु क्रयानुमोदन निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	चयनित फर्म का नाम	आर0ओ0 प्लान्ट की प्रतिघण्टा क्षमता	कुल आर0ओ0 प्लान्ट की संख्या	01 अदद् आर0ओ0 प्लान्ट की लागत(स्थापना व्यय, निर्माण, मशीन/सामग्री सहित)	22 अदद् आर0ओ0 प्लान्ट हेतु कुल स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6
1	मे0 स्टारटेक इन्टरनेशनल साकेत नगर, कानपुर	2000 लीटर	22	5,90,900/-	1,29,99,800/-
(रूपये एक करोड़ उन्तीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ मात्र)					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयनीति, सामग्री क्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश संख्या-2177/एल/18-7-94-151(एस0पी0)/82, दिनांक 17.10.1994 एवं शासनादेश संख्या-344/18-5-2003-76(एस0पी0)/86, दिनांक 10.03.2003 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(2) क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(3) आपूर्तिकर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

(4) आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना हेतु प्रत्येक कारागार में मशीनों व टंकी आदि को रखने हेतु 15x20 का सीमेन्टेड मजबूत प्लेटफार्म एवं बारिश आदि से बचाव के लिए 15x20 फिट का टिकाऊ शेड अनिवार्य रूप से बनाया जायेगा।

(5) कारागारों में स्थापित होने वाले आर0ओ0 प्लान्ट में आवश्यक विद्युत व्यवस्था के अन्तर्गत पावर प्वाइन्ट, बोर्ड, एमसीबी व आवश्यक केबिलिंग कार्य सहित उच्च कोटि के पाइप द्वारा टंकी को आर0ओ0 मशीन से जोड़ा जायेगा।

(6) प्रश्नगत क्रय से सम्बन्धित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) क्रय की गई सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक त्रैमासिक रिपोर्ट शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

(8) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-04/2017/1681(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in